**समूह आवास समितियों के फर्जी सदस्यों को हटाया जाना**

2525. **श्री अजीत जोगी:**
**श्री एस०एस० सुरजेवाला:**

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिल्ली में फ्लैटों के निर्माण हेतु अब तक कितनी पंजीकृत समूह आवास समितियों को भूमि आवंटित की गई है;

(ख) इनमें कितनी समितियों को भूमि आवंटित की गई थी, जिन पर उन्होंने फ्लैटों के निर्माण का कार्य पूरा कर लिया है; और

(ग) सरकार इन समितियों से फर्जी सदस्यों को हटाने हेतु क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है?

**शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० यू० वेंकटेश्वरलू):** (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचना दी है कि 518 सरकारी समूह आवास समितियों को भूमि दिल्ली के विभिन्न भागों में वर्ष 1983 से पहले आवंटित की गयी थी। अन्य 216 समितियों को 1992 से द्वारका चरण प्रथम में विशेष भूखण्ड आवंटित किए गये हैं। उनमें से 103 समितियों ने समग्र प्रीमियम की अदायगी पर आवंटित भूमि का कब्जा ले लिया है।

(ख) दि०वि०प्रा० ने 11 समितियों के मामले में पूर्णता प्रमाण पत्र और 116 समितियों के मामले में अस्थायी कब्जा प्रमाण पत्र जारी किए हैं।

(ग) पंजीयक सहकारी समितियां, दिल्ली ने सूचना दी है कि आवास समितियों के सदस्यों का पंजीकरण दिल्ली सहकारी समितियां अधिनियम 1973 के नियम 24 और 30 के तहत आवास समितियों की प्रबंध समिति द्वारा किया जाता है। अयोग्य पाये जाने वाले सदस्यों के विरुद्ध नियम 25 और 28 के तहत नियमानुसार कार्रवाई की जाती है।

**नेप्था का आयात**

2526. **श्री अनन्तराय देवशंकर दवे:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) निजी औद्योगिक घरानों द्वारा वार्षिक रूप से कितनी मात्रा में नेप्था का आयात किया जा रहा है;

(ख) देश में नेप्था के उत्पादन द्वारा कितने प्रतिशत और किस हद तक घरेलू मांग पूरी की जा रही है;

(ग) सरकार द्वारा नेप्था के उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु क्या प्रयास किये जा रहे हैं और अब तक इस दिशा में कितनी सफलता मिली है;

(घ) किन-किन निजी औद्योगिक घरानों को नेप्था का आयात करने की मंजूरी दी गयी है तथा उस संबंध में अपनाये गये नियमों, मानदंड और शर्तों का ब्यौरा क्या है, क्या नेप्था के आयात पर इन घरानों का एकाधिकार स्थापित हो गया है; और

(ड़) यदि हां, तो इसके क्या कारण है?

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी०आर०बालू):** (क) तेल समन्वय समिति के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार पिछले तीन वर्षों के दौरान निजी पक्षकारों द्वारा किए गए नेफ्था के आयात का ब्यौा निम्नानुसार है:

| वर्ष | (आंकड़े टी एम टी में) मात्रा |
|---|---|
| 1993-94 | 138.3 |
| 1994-95 | 389.1 |
| 1995-96 | 228.5 |

(ख) ऐसा अनुमान है कि नेफ्था के वर्तमान उपभोक्ताओं की संपूर्ण मांग वर्तमान वर्ष 1996-97 के दौरान लगभग 4.8 एम एम टी है, जिसे स्वदेशी उत्पादन से पूरा किया जा रहा है।

(ग) पेट्रोलियम उत्पादों के स्वदेशी उत्पादन में वृद्धि करने के लिए तथा पेट्रोलियम उत्पादों की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र तथा संयुक्त उद्यमों सहित निजी क्षेत्र में शोधन क्षमता में वृद्धि करने के लिए आशय-पत्र जारी कर दिए गए हैं।

(घ) और (ड़) नेफ्था का आयात दिसम्बर, 1992 से नियंत्रणमुक्त कर दिया गया है, बशर्ते कि उत्पादन की बिक्री केवल तेल रिफाइनरियों को की जाए अथवा फीडस्टाक के रूप में इनकी घरेलू खात की जाए।

**Petroleum Dealerships to one person at more than one places**

2527. SHRI PRAKASH YASHWANT AMBEDKAR: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether same persons have been granted dealerships at two or more places by Bharat Petroleum/Hindustan Petroleum/Indian Oil Corporation in